# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –49/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रूपवास जिला भरतपुर

––प्रार्थी

बनाम

1. सुषमा पत्नी श्योदानसिंह कौम जाटव निवासी कंकरैठा तहसील व जिला आगरा उ0प्र0
2. पूरनदेवी पत्नी भगवानदास कौम जाटव निवासी सिंघावली तहसील रूपवास
3. नरेन्द्रसिंह
4. जीतेन्द्र
5. धर्मेन्द्रसिंह
6. आत्येन्द्र
7. सुनीता
8. सुशीला

   पिसरान भगवान कौम जाटव निवासी सिंघावली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

9. गोविन्द पुत्र भगवानदास
10. श्रीमती पुत्री भगवानदास

    कौम जाटव निवासी सिंघावली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 564/1 रकबा 2.06 व ख0न0 568/1 रकबा 2.07 बीघा के विरूद्व आवंटन/खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत्।

उपस्थित :

1. पैरोकार सरकार
2. श्री परमेन्द्र कुमार शर्मा एड0 अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 08.05.2026

निर्णय

प्रार्थी तहसीलदार रूपवास (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् आराजी खसरा नम्बर 564/1 रकबा 2.06 व ख0न0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

568/1 रकबा 2.07 बीघा वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये किन्तु कोई जबाब पेश नही किया गया । अभिभाषक अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी दौराने बहस उपस्थित नही आये। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 स्वय उपस्थित आई व मौखिक रूप से उक्त आराजी से कोई लेना–देना नही होने बाबत् निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार के द्वारा तहसीलदार (भूमिधारी) रूपवास के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 564/1 रकबा 2.06 व ख0न0 568/1 रकबा 2.07 बीघा किस्म गै0मु0मरघट वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी सक्त् 2069–72 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक गै0मु0मरघट के रूप मे दर्ज रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संक्त् 2012–2015 के राजकीय खाता संख्या 799 मे खसरा नम्बर 564/4.06 व 568/3.07 के रूप में रहा है तथा भूमि आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 05.7.1973 से नामान्तकरण संख्या 855 दिनांक 15.9.1973 द्वारा जमाबंदी संक्त् 2029–2032 के खाता स0 460 में कलुआ पुत्र बिहारी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुई है जो जरिये विरासत व विकयनामा संख्या 1327,2666,3287 से अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की काबिज काश्त मे है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के पत्रांकम 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया गया है। उक्त भूमि पर हुये आवंटन आदेश दिनांक 05.07.1973 प्रभाव शून्य है एवं इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामा0स0 855,1327,2666,3287 इत्यादि निरस्त करने योग्य है। भूमि आवंटन आदेश नॉन ज्यूडिशिल का प्रकरण जिसका रैफरेन्स मान0राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना है। पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 564/1 रकबा 2.06 व ख0न0 568/1 रकबा 2.07 बीघा किस्म गै0मु0मरघट पर दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 855,1327,2666,3287 इत्यादि को निरस्त फरमाये जाने हेतु तथा भूमि को पूर्व की भॉति गैर सिवायचक खाते में दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रैफरेन्स करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के लगातार अनुपस्थित रहे है।



अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने पैरोकार सरकार के कथनो पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 564/1 रकबा 2.06 व ख0न0 568/1 रकबा 2.07 बीघा किस्म गै0मु0मरघट वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास के सबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया जिसमें जमाबंदी संवत् 2012–2015 में ख0न0 564/4.05 व 568/3.10बीघा गै0मुमकिन तथा जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 खाता स0 460 में कलुआ पुत्र बिहारी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुई है तथा भूमि की किस्म गैर मुमकिन मरघट दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069–72 में खसरा नम्बर 564/1 रकबा 2.06 व ख0न0 568/1 रकबा 2.07 बीघा किस्म गै0मु0मरघट पर अप्रार्थीगण का नाम सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामा0स0 855 से ख0न0 564 व 568 पर कॉलम न05 में मकबूजा राज के स्थान पर कलुआ पुत्र बिहारी सा0देह खातेदार के नाम जरिये एलोटमेन्ट कमेटी के आदेश से गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुई है तथा नामान्तकरण संख्या 1327 जरिये विरासत कलुआ के स्थान मु0जावित्री बेवा कलुआ हि01/4 सोनी,लटूरिया सूरज पि0 कलुआ बहि0बराबर 3/4 कौम हरिजन सा0देह खातेदार दर्ज हुआ है। नामा0स02666 से जरिये वयनामा दिनांक 22.9.2008 से सुषमा पत्नी श्योदानसिंह कौम जाटव सा0 ककरैठा तहसील व जिला आगरा उ0प्र0 खातेदार 1/4 हि0 बाकी हिस्सा 3/4 जमाबंदी बदस्तूर रहा है। नामा0स03287 से जरिये विरासत भगवानदास के स्थान पर पूरनदेवी पत्नी भगवानदास,नरेन्द्रसिंह, जीतेन्द्र,धर्मेन्द्रसिंह, आत्येन्द्र (बालिग) गोविन्द (नाबालिग) पिस0 भगवानदास सुनीता,सुशीला (बालिग) श्रीमती(नाबालिग) पुत्रीयान भगवानदास सरपरस्त माता पूरनदेवी खुद बहि0बराबर हस्से कौम जाटव सा0 सिंघावली खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है।

पैरोकार सरकार के कथनो से हम सहमत है साथ ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांतों में अभिनिर्धारित किया है कि "मरघट" की भूमि पर खातेदारी अधिकार अर्जित नही होते है। इस प्रकार मरघट की भूमि को खातेदारी अधिकार अर्जित नही होते है और यदि ऐसी भूमि पर किसी आंवटन आदेश/डिक्री के द्वारा यदि खातेदारी प्रदत्त कर दिये गये है तो वह प्रभाव शून्य एवं व्यर्थ होने से निरस्तनीय हैं, इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(4) के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित भूमि पर किसी व्यक्ति को आंवटन/गैरखातेदार दर्ज किया जाना वर्जित रहता है। अभिभाषक अप्रार्थी के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है जिससे गै0मु0मरघट सार्वजनिक उपयोग की आराजी के किये गये आवंटन को विधिसम्मत माना जा सके। जब अप्रार्थी के पूर्वज को किया गया आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानों के विपरीत है तो उसके आधार पर इन्द्राज खातेदारी का नामान्तकरण अवैध एवं शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य रहते है। भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग में भूमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को सूचित किया जाना उचित पाते है ।



अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

**अतः आज्ञा है कि:—**

प्रार्थी (तहसीलदार रूपवास) का प्रार्थना पत्र(रैफरेन्स) स्वीकार किया जाता है। मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है कि आराजी नम्बर 564/1 रकबा 2.06 व ख0न0 568/1 रकबा 2.07 बीघा वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास का किये गये नामान्तरकरण सं0 855 से इन्द्राज गैर खातेदारी अप्रार्थी तथा नामा0 स0 1327,2666,3287 से विरासत/विक्रयनामा अप्रार्थीगण निरस्त किया जाकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की भांति सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास को प्रेषित की जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे दिनांक 12.06.2026 को उपस्थित हो। यह पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

आज्ञा सुनाई गयी ।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर